बुध सिंह आदि **बनाम** बिट्टू सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 49 सन् 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/263

...ल ...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि चक 39 एच की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 27/24 के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 23 की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निर्णय तक स्थायी किए जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि पंजीकृत बैयनामाजात से खरीद की गयी है। रकबा का उपयोग व उपभोग हमारे द्वारा ही किया जा रहा है, लेकिन उक्त भूमि आज भी मुश्तर्का खाता में दर्ज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज फरमाया जावे। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 1 बिट्टू सिंह मुश्तर्का खाता की भूमि में से अपने हिस्से मुताबिक अभिलिखित खातेदार है। अभिलिखित खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश जारी किया जाता है। तो अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत नहीं होते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता हैं। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल अपील के साथ संलग्न हो।	

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ... (श्रीगंगानगर)